# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 97/2012

निर्णय दिनांक :– 22.1.2020

1. अर्जुनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम फ्रांसा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू ।
2. बनेसिंह पुत्र स्व. माधोसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फ्रांसा तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थीगण

बनाम

1. धन्नेसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फ्रांसा त. रतनगढ जि. चूरू
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फ्रांसा त. रतनगढ जि. चूरू
3. मंगेजसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फ्रांसा त. रतनगढ जि. चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री रोहिताषसिंह अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री दिवानसिंह अभिभाषक अप्रार्थीगण
3. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 7.11.2012 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम फ्रांसा से दीपसर जाने वाले कटाणी मार्ग जिसके ख.नं. 157 तादादी 15 विश्वा है। यह कटाणी रास्ता ग्राम फ्रांसा के चिपते आबादी के पूर्वी तरफ स्थित है, जो ख.नं. 156 व 158 में से होकर गुजरता है। ख.नं. 156 व 158 के खातेदार अप्रार्थीगण ने आपस में मिलकर कटाणी रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है और कटाणी मार्ग को अन्य

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

जगह निकाल दिया है। कटाणी रास्ते को अवैध निर्माण कर सदा के लिए अवरूद्ध करना चाहते है। रास्ता अवरूद्ध होने से प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेतों में जाने से वचिंत हो जायेगें। प्रार्थीगण पीढियों से इसी कटाणी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थीगण को कटाणी रास्ते पर अवैध निर्माण करने से मना किया तो वह साफ इन्कार हो गया। अवैध निर्माण की लिखित सूचना तहसीलदार, रतनगढ को भी दी थी परन्तु आज दिन तक निर्माण कार्य चालु है। राजस्व कर्मचारियों ने अनुचित लाभ प्राप्त कर कटाणी रास्ते की भूमि होते हुए भी निर्माण कार्य नही रूकवाया है और अतिक्रमण बाबत कोई कार्यवाही नही की है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायिक हित में है कि वो ख.नं. 157 तादादी 15 विश्वा गैर मुमकिन कटाणी रास्ते की भूमि को आवागमन हेतु खुला रखे उसमें कोई अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न न करें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि दावा के निस्तारण तक आबादी भूमि ग्राम फांसा में से आबादी भूमि के अगुणी तरफ चिपते ही बन्दोबस्ती रास्ता की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रास्ता भूमि पर कोई निर्माण या बाधा उत्पन्न कर आवागमन को अवरोधित नही करें और अगर कोई अवरोध पैदा किया गया है तो उसे तुरन्त स्वंय के खर्चे से हटवाकर आवागमन को सुचारू करें।

3. अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत न सीधे ही बहस की इस्तदुआ की गई।

4. बहस उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगणसुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि ख.नं. 157 कटाणी रास्ता है। प्रार्थीगण को सरकारी भूमि से आवागमन का अधिकार है। यह एक मात्र यही रास्ता है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि कटाणी रास्ता को अवरूद्ध नही करें। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्पष्ट है। मौके पर

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

आवागमन चालु है। प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का कोई अधिकार नही है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भलिभांती अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट दिनांक 10.10.2019 के द्वारा प्राप्त हुई है। पटवारी ने दिनांक 9.10.2019 को ख.नं. 157 गै.मु.रास्ता का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मौके पर रास्ता खुला है तथा आवागमन चालु है। रास्ते पर किसी प्रकार का अवरोध नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अपूर्त्य क्षति नही हो रही है तथा ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। जब मौके पर रास्ता चालु है तो प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण को वादहेतुक ही प्राप्त नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम बाबत ख.नं. 157 गै.मु. रास्ता रोही ग्राम फांसा तहसील रतनगढ खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 15:08:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: